



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवालाकलां

दिनांक – 12.03.2025

**थाना शिवालाकलां पुलिस ने मु0अ0सं0 31/25 धारा 115(2)/351(2)/109/117(2) बीएनएस में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.03.2025 को वादी ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि अभियुक्त अनुज पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ग्राम ककराला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लात-घूसो से मारपीट कर वादी के पिताजी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 31/25 धारा 115(2)/118(1)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियोग मे विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 118(1) बीएनएस का लोप कर धारा 109/117(2) बीएनएस की वृद्धि की गई ।



कार्यवाही विवरण-

थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 31/25 धारा 115(2)/117(1)/351(2)/109 बीएनएस मे वांछित अभियुक्त अनुज पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ग्राम ककराला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रमन कुमार पुत्र राजपाल सिंह उर्फ लाडनपुरिया निवासी ग्राम गोपालपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।
- 2.मुख्य आरक्षी राहुल कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।
- 3.हो0गा0 ब्रहमपाल सिंह थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 12.03.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 85/25 धारा 137(2)/115(2)/351(3)/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.03.2025 को वादिनी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त रमन कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम गोपालपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर अपने दोस्त की मदद से वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा इस संबंध में बात करने पर अभियुक्त रमन की माता ने जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 85/25 धारा 137(2)/115(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 07.03.2025 को अपहृता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।



कार्यवाही विवरण-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 85/25 धारा 137(2)/115(2)/351(3)/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त रमन कुमार पुत्र राजपाल सिंह उर्फ लाडनपुरिया निवासी ग्राम गोपालपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रमन कुमार पुत्र राजपाल सिंह उर्फ लाडनपुरिया निवासी ग्राम गोपालपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 उमेशचन्द यादव थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी सलीम चौधरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी सोनू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।